संख्या–306/प्रा0शि0/2004

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिक महाविद्यालय,
पन्तनगर।

प्राचार्य,
जी0बी0 पन्त इंजी0 कालेज,
घुड़दौड़ी–पौड़ी।

प्राचार्य,
कुमायूं इंजी0 कालेज,
द्वाराहाट– अल्मोड़ा।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून दिनांक 29 जून, 2004

विषयः– प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों, सहायता प्राप्त पालीटेक्निक एवं स्ववित्त पोषित पाली0 तथा राजकीय सहायता प्राप्त /स्ववित्त पोषित इंजी0 संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–69/प्रा0शि0/2004 दिनांक 1–6–2004 को अतिक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

1– वर्तमान में समस्त शासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित, इंजी0 संस्थानों में बी0ई0 एवं बी0 टेक/बी0 फार्मा पाठ्यक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा परन्तु भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 2 प्रतिशत, महिलाओं हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 20 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रितों हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 2 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 3 प्रतिशत के अन्तर्गत रिक्त रहने वाली सीटे इन्हीं क्षैतिज श्रेणियों के वर्टिकल श्रेणी में आरक्षित सीट के अन्तर्गत समायोजित कर दी जायेगी (विवरण संलग्न) तथा उस श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में विभाजित नहीं की जायेगी। इस प्रकार कुल आरक्षण अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– समस्त राजकीय /सहायता प्राप्त /निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में भूतपूर्व सैनिकों /भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अब 02 प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण के स्थान पर 03 प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण दिया जायेगा परन्तु भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 03 प्रतिशत, महिलाओं हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 20 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 02 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण 03 प्रतिशत के अन्तर्गत रिक्त रहने वाली सीटे इन्हीं श्रेणियों के वर्टिकल श्रेणी में आरक्षित सीटों के अन्तर्गत समायोजित कर दी जायेगीं तथा उस श्रेणी के अतिरिक्त अन्य किसी श्रेणीयों में विभाजित नहीं की जायेगी। इस प्रकार कुल आरक्षण अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– भूतपूर्व सैनिकों /भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की परिभाषा संलग्नक के अनुसार होगी जैसा सैनिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

14.2.14.5.7

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–304 (1)/प्रा0शि0/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तरांचल।

2– कुल सचिव, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल/गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।

3– निदेशक, सैनिक कल्याण परिषद, उत्तरांचल को इस आशय से प्रेषित की कृपया उक्त व्यवस्था का अपने स्तर से समुचित प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

4– निदेशक, समस्त स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थान/पालीटेक्निक संस्थान, उत्तरांचल।

5– संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।

6– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या - 304 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 29-6-04
का संलग्नक

DEFINITION OF EX-SERVICEMAN

1. The eligibility of the retired Defence personnel to the status of ex-Servicemen is governed by the definition as laid down by Department of Personnel and Training. The definition has been undergoing changes from time to time. The following is the broad categorisation:-

(a) Those released before 01 Jul 68. Any person who had served in any rank (whether as Combatant or not) in the Armed Forces of the Union and has been released therefrom otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b) Those released on or after 01 Jul 68 but before 01 Jul 79. Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation and released therefrom otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(c) Those released on or after 01 Jul 79 but before 01 Jul 87. Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation if discharged for reasons other than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and not less than 5 years of service if discharged at own request.

(d) Those released on or after 01 Jul 87. Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Indian Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget or released on completion of specific terms of engagement with gratuity otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(राजीव चन्द)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 304 / प्रा० शि० /2004 दिनांक 29-6-04 का संलग्नक।

SAMPLE DISTRIBUTION OF 100 SEATS FOR B.E./B.TECH./B.PHARMA PROGRAME

VERTICAL CATEGORY	TOTAL	HORIZONTAL CATEGORY					
		MAIN (73%)	WOMEN (20%)	AF (2%)	FF (2%)	PH (3%)	TOTAL
GEN (63%)	63.	46 (45.99)	13 (12.6)	1 (1.26)	1 (1.26)	2 (1.89)	63
OBC (14%)	14	10 (10.22)	2 (2.8)	— (0.28)	1 (0.28)	1 (0.42)	14
SC (19%)	19	14 (13.87)	4 (3.8)	1 (0.38)	— (0.38)	— (0.57)	19
ST (4%)	4	3 (2.92)	1 (0.8)	— (0.08)	— (0.08)	— (0.12)	4
TOTAL	100	73	20	2	2	3	100

(राजीव चन्द्र)
अपर सचिव